

24/12/23

फिर

पत्रावली पेश हुई। वकील पार्थी एवं अपार्थी स्वयं उपस्थित।
वकील पार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रती के
विषय आर्मवाही नहीं चाहते हैं तथा प्रकृत विधायक करना चाहते हैं।
अतः पार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विधायक
काम की स्वीकृति दी जाती है। अक्टूबर 2002 के तहत पार्थी
द्वारा अधिवक्ता की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी में आर्मवाही
इसी क्षेत्र पर शॉप की जाती है। पत्रावली प्रेषण द्वारा दी गई है।

जि. नं. 540/23

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट .
बांसवाड़ा (राज.)

